UPSI010064792021

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–2, जनपद–सीतापुर।
सत्र परीक्षण संख्या–1094/2021
CIS No.-1094/2021

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम शकील आदि।

दिनांक–06.10.2023

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज प्रार्थना–पत्र 11क अन्तर्गत धारा–311 दण्ड प्रक्रिया संहिता के निस्तारण हेतु नियत है। प्रार्थना–पत्र 11क पर अभियुक्तगण की आपत्ति–12क एवं 13क शामिल पत्रावली हैं। प्रार्थना–पत्र 11क पर विद्वान लोक अभियोजक (दाण्डिक) एवं आपत्ति–12क व 13क पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया गया।

निस्तारण प्रार्थना–पत्र 11क अन्तर्गत धारा–311 दण्ड प्रक्रिया संहिता

अभियोजन की ओर से प्रार्थना–पत्र 11क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि उपरोक्त वाद दो हत्याओं से सम्बन्धित है, जिसमें मृतक सतीश व उसकी पत्नी मृतका मंजू जनपद देवरिया के मूल निवासी थे एवं लखनऊ चिनहट क्षेत्र में किराये का कमरा लेकर रहते थे एवं मजदूरी करते थे। वाद में अभियुक्त शकील, जो जनपद सीतापुर के थाना क्षेत्र तालगांव का निवासी है, वह भी लखनऊ चिनहट क्षेत्र में रूक कर मजदूरी करता था। विवेचना में आया है कि मृतक एवं मृतका (सतीश व मंजू) के घर शकील का आना–जाना था एवं शकील द्वारा ही सतीश व मंजू को मोटरसाइकिल से लखनऊ से अपने तालगांव थाना क्षेत्र में लाकर सह–अभियुक्तगणों के साथ मिलकर दोनों की निर्मम हत्या कारित की गयी है। पत्रावली में मृतक सतीश के पिता व दो भाइयों का साक्ष्य अंकित हो चुका है, जिसमें पी0डब्लू0–2 शिवमूरत जो मृतक सतीश का पिता है, ने अपने बयानों के पेज–2 की 12 वीं लाइन में कहा है कि ''मेरे पोते मनीष ने शकील को घर से लड़के व बहू को ले जाते देखा था, वह मोटरसाइकिल के पीछे–पीछे गया तो बहू ने उसे समोसा खरीद कर दिया और कहा हम लोग जा रहे हैं, तुम जाओ।'' इस प्रकार पी0डब्लू0–2 के उपरोक्त कथन से स्पष्ट होता है कि मृतक सतीश व मृतका मंजू का पुत्र मनीष लास्ट सीन का महत्वपूर्ण साक्षी है, परन्तु विवेचक ने उसे साक्षी नहीं बनाया है और न ही उसका बयान अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता दर्ज किया है, जबकि मनीष का साक्ष्य होना न्यायहित में अति आवश्यक है।

उपरोक्त प्रार्थना–पत्र के विरूद्ध अभियुक्तगण इसराइल, शकील व रूखसार की ओर से आपत्ति–13क प्रस्तुत करते हुए अभिकथित किया गया कि अभियुक्तगण लखनऊ में साथ–साथ मृतकगण के साथ नहीं रहे हैं, न ही उससे कोई जान पहचान थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट व सम्पूर्ण विवेचना में कहीं भी मनीष का नाम साक्ष्य के रूप में नहीं आया है, न ही विवेचना अधिकारी ने मृतकगण के पुत्रों के संबंध में कहीं भी लिखित रूप से बताया गया है। साक्ष्य पूर्ण हो चुके हैं, मात्र औपचारिक साक्ष्य शेष बचे हैं। अभियोजन द्वारा दिया गया प्रार्थना–पत्र न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी वाद के निस्तारण हेतु किया गया था, वह पूर्ण हो चुका है। मात्र वाद में विलम्ब कारित करने हेतु प्रार्थना–पत्र दिया गया है, जो निरस्त होने योग्य है।

इसी प्रकार का कथन अभियुक्तगण शकील, रमजान व अकील की ओर से आपत्ति–12क के माध्यम् से किया गया तथा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

विद्वान लोक अभियोजक (दाण्डिक) द्वारा प्रार्थना–पत्र 11क पर बल देते हुए अभिकथित किया गया कि साक्षी मनीष, मृतक व मृतका (सतीश व मंजू) का पुत्र है तथा यह लास्ट सीन साक्षी है, अतः न्यायहित में इसे साक्षी के रूप में आहूत किया जाना आवश्यक है।

आपत्ति–12क व 13क पर बल देते हुए अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अभिकथित किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है तथा विवेचना में एवं धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में तथा केस डायरी में कहीं भी साक्षी मनीष का नाम अंकित नहीं किया गया है।

संपूर्ण विवेचना में मनीष कुमार को कहीं भी साक्षी नहीं माना गया है। विवेचक ने अपने द्वारा प्रेषित आरोप–पत्र में भी मनीष कुमार को साक्षी नहीं बनाया है, परन्तु विवेचना की त्रुटि का लाभ अभियुक्तगण को प्राप्त नहीं हो सकता। इस संबंध में अग्रांकित विधि निर्णयज उल्लेखनीय है :–

शिवलाल एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2012(1) जे.आई.सी. 307, एस0सी0 विधि निर्णायज में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि दोषपूर्ण विवेचना का लाभ अभियुक्त को प्राप्त नहीं होगा।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अपनी आपत्ति पर बल देते हुए यह भी अभिकथन किया गया कि साक्षी मनीष घटना के समय अपनी मौसी के यहां था, अतः उसे लास्ट सीन साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अभियुक्तगण जेल में हैं। इस प्रकार के प्रार्थना–पत्र से वाद के निस्तारण में विलम्ब कारित हो रहा है।

जहां तक अभियोजन साक्षी का प्रश्न् है, अभियोजन पक्ष को अपना श्रेष्ठम् साक्षी साबित करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए।

जहां तक प्रश्न् बचाव पक्ष का है तो बचाव पक्ष, अभियोजन को यह निर्देशित नहीं कर सकता है कि वह अपना पक्ष साबित करने के लिए कौन–सा साक्षी प्रस्तुत करे अथवा कौन–सा साक्षी प्रस्तुत नहीं करे। अपनी प्रतिरक्षा का अवसर प्राप्त होने पर बचाव पक्ष अपने बचाव में जो चाहें वह साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। तद्नुसार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 11क अन्तर्गत धारा–311 दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत आवेदन–11क अन्तर्गत धारा–311 दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है। अभियोजन साक्षी मनीष को सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते साक्ष्य **दिनांक 13.10.2023** को पेश हो।

दिनांक–06.10.2023

(भगीरथ वर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–2, सीतापुर।
JO CODE- UP6207

कुशल/.

Digitally signed by BHAGIRATH VERMA
Date: 2023.10.06 16:29:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sitapur